न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 62/19 **निर्णय दिनांकः– 30–12–2019**
(आरसीएमएस संख्या 2019/00085)

1. अजीतसिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी करणीसर भाटियान तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 18–06–2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः–
1. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18–06–2010 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 5 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 202/7 की 23 बीघा भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18–06–2010 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट अन्य तहसील का निवासी है। जबकि आवंटन नियमों में वरियता अथवा पात्रता निर्धारण करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्‌भावी काश्तकार है व बीकानेर, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है। जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–06–2010 के विरूद्व अपील दिनांक 07–03–19 को पेश की है। जो करीब 09 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट अन्य तहसील का निवासी है अतः आवेदन खारिज किया जाता है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–06–2010 के विरूद्व अपील दिनांक 07–03–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र

प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राजकीय अभिभाषक द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसीस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 14–09–2007 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18–06–2010 को अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट अन्य तहसील का निवासी होने से वरियता से बाहर होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 5 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 202/7 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि वादग्रस्त भूमि के विशेष आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदकों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा चूंकि अपीलांट अन्य तहसील का निवासी है अतः अपीलांट को वरियता से बाहर मानते हुए अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया गया है। विशेष आवंटन नियमों के तहत भूमि आवंटन की प्रथम वरियता उसी तहसील के निवासी की बनती है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु उसी तहसील के अन्य आवेदकों के भी आवेदन होने पर व अपीलांट अन्य तहसील का निवासी होने के कारण वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु उसी तहसील के निवासी की वरियता प्रथम होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 18–06–2010 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.07 17:33:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: